

आदेश

आदेशीय डी. डी. बैंक

चान्दनाडिपारी
मनाम 1408

16.12.1992-93

मिलानी पदाधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक
चान्दनाडिपारी

डी. डी. बैंक

27/6/92
28/7/95

आदेश एवं हस्ताक्षर

13/05-06

की गयी कार्यवाही
की तिथि

27-7-92
30.8.92
30/8/92
20/2/93
13/4/93
15/5/93
15/6/93
8.10
Nil
Disposed
Date
08/07/2017

प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, चान्दनाडिपारी
शाखा घनबाद, अपने विद्वान अधिवक्ता / श्री एस. एन. राय ने अपने अधियाचन
संख्या द्वारा देनदार डी. डी. बैंक
पिता श्री गौरी प्रसाद राय - चान्दनाडिपारी
किशोरी जिला - लौकेशी
के विरुद्ध बकाया राशि वसूली हेतु
2980-10
अधियाचन पत्र दाखिल किया गया है। इनके द्वारा एक आवेदन भी
दाखिल किया गया है जिसमें कोर्ट की दाखिल करने वास्ते समय की मांग
की गयी है।

अधियाचन पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य
है। अतः देनदार के विरुद्ध धारा 6 पी. डी. आर. एक्ट के अधीन विधिवत
सूचना जारी करें। विद्वान अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है कि "कोर्ट की"
अविलम्ब प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करें। सूचना के तामिला प्रतिवेदन
के साथ दिनांक
पस्तुत करें। गारन्टर को भी सूचित करें।

नी. ५०

FORM NO. 1.

CERTIFICATE OF PUBLIC DEMAND FILLED IN THE OFFICE OF THE CERTIFICATE OFFICER OF

(Section 4 and 6 of the Bihar and Orissa Act IV of 1914)

No. of Certificate	Name and address Certificate holder	Name and Address of the certificate debtor	Amount of Public demand (including interest if any including the fee paid under Sec 5 Sub Sec (2) if any) for which this Certificate is signed and period for which such demand is due	Further Particular of the Public demand for which this certificate Signed
1	2	3	4	5
/92 -93	S.B.I. Chandan- Kiary Dist - Bokaro.	Manik Patra S/o Moti Patra At & P.O.- Chandankiary Dist - Bokaro.	Rs. 2,980.10 (Rupees Two thousand nine hundred eighty and paise ten only) + Further accrued interest w.e.f. 22.1.1992 + other Misc.Expn.	

RECEIVED
STATE OF INDIA
BOKARO DISTRICT
1992

I here by certify that the above mentioned sum Rs. 2,980.10
 is due to the above named C. dr. from the
 above named. (if the certificate is Signed on requisition sent under section 5 and) I further
 certify that the above named sum of Rs. 2,980.10
 is mostly recoverable and that its recovery suit is not Barred by law.
 dated this 7 day of 9 1992
 Certificate officer